राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2381/2018

1. प्रदीप कुमार शर्मा
2. रेणु बाला शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर जोन, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ।
3. जिला अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री के.एस. लोहा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थीगण द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला, अध्यापक की अस्थाई पात्रता सूची को चुनौती दी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने हनुमानगढ जिले में अंतर जिला स्थानांतरण के पश्चात दिनांक 15.09.2004 को कार्यग्रहण किया था। इस कारण से अपीलार्थीगण को कम से कम दिनांक 15.09.2004 से वरिष्ठता में माना जाये।
2. प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थीगण को स्थानांतरण के पश्चात कार्यग्रहण की दिनांक 15.09.2004 के पश्चात से ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थीगण को हनुमानगढ जिले में स्थानांतरण की दिनांक से वरिष्ठ होना माने जाने का जवाब प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत रूप से अपीलार्थीगण को वरिष्ठता दिनांक 15.09.2004 से दिया जाना स्वीकार किया है। इस अपील में अपीलार्थीगण ने केवल अस्थायी वरियता सूची को चूनौती दी है। उसके पश्चात अंतिम वरियता सूची भी जारी हो चुकी है, जिसे अपीलार्थीगण ने इस अपील में चुनौती नहीं दी है।
3. इस अपील में दो अपीलार्थीगण है जो दोनों ही राजकीय सेवा में हैं। ऐसे में एक साथ अपील प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को ध्यान में रखते हुए इस अपील को इस प्रकार से निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थीगण यदि अंतिम वरीयता सूची में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार वरिष्ठता में अपना स्थान होना नहीं पाते हैं तो वो अंतिम वरीयता सूची को चुनौती देने के लिये स्वतंत्र रहेगें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)